I/540793/2024

जारी/प्रेषणार्थ 15/4/2024

संख्या–483/39-04-2024-001-05-02-2024

प्रेषक,

आत्म प्रकाश पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

जारी 15-04-2024

सेवा में,

सचिव,
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,
उ0प्र0,लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2024

विषय – वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0 विभिन्न मदों में आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-03- सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0 के विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष के बचनबद्ध व्यय के वहन हेतु रू0 508.73 लाख (रू0 पांच करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित लेखाशीर्ष/मद के विवरणानुसार आहरित कर व्यय करने हेतु निम्नवत् शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निर्वतन पर रखी जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा यात्रा-व्यय, कार्यालय व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा टेलीफोन पर व्यय की मदों में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित रखा जायेगा। गुड्स एण्ड प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के प्राविधानों तथा इस विषय पर समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेशियंल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि के किसी मद का अन्तरण दूसरे मद में न किया जाय और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए ही की जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा एवं आहरित की गई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह शासन, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 व महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 - इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25

लेखाशीर्ष: 2070001040300 (सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	01 वेतन	2,95,50,000 (रुपये दो करोड़ पंचानबे लाख पचास हजार मात्र)
2	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	03 मंहगाई भत्ता	1,62,53,000 (रुपये एक करोड़ बासठ लाख तिरेपन हजार मात्र)
3	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	06 अन्य भत्ते	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
6	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	09 विद्युत देय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
8	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
10	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
11	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
12	082	2070001040300	42	50,000

		सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	अन्य व्यय	(रुपये पचास हजार मात्र)
13	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
14	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
16	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	49 चिकित्सा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
17	082	2070001040300 सतर्कता आयोग एंव प्रशासनिक न्यायाधिकरण	55 मकान किराया भत्ता	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**5,08,73,000** (रुपये पाँच करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)
महायोग				**5,08,73,000** (रुपये पाँच करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by आत्म प्रकाश पाण्डेय
Date: 12-04-2024 19:22:31
Reason: Approved

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी,सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,उ0प्र0।
(7) आदेश पुस्तिका ।

आ0प्रकाश

(आत्म प्रकाश पाण्डेय)
अनु सचिव।